मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अधीन योजनाएं

2304. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अधीन मध्य प्रदेश में किन-किन योजनाओं को कियान्वित किया जा रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) मध्य प्रदेश के लिए आवंटित धनराशि की तुलना में अन्य समीक्ष राज्यों को कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) राज्यों को धन देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) और (ख) वे सभी ग्रामीण कार्य जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जा सकते हैं । योजना के अन्तर्गत किए जा सकने वाले कार्यों की सूची विवरण I में दी गई है । (**नीचे देखिये**) जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वर्ष 1989-90 हेतु आवंटित संसाधन विवरण II में दर्शाए गए हैं (**नीचे देखिये**)) ।

(ग) योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संसाधन 1983-84 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में प्रकाशित देश के कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में किसी राज्य में रहने वाले ग्रामीण गरीबों के प्रतिशत के आधार पर आवंटित किए जाते हैं ।

विवरण-I

(1) सरकारी और पंचायतों आदि की सामुदायिक भूमियों पर सामाजिक वानिकी कार्य सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण, नहर के किनारों पर परती भूमि पर वृक्षारोपण, रेल की लाइनों के साथ-साथ वृक्षारोपण आदि जिसमें ईंधन, चारे तथा फलों के वृक्ष लगाना, निजी भूमि पर रोपण करने के लिये पौधों का वितरण/बिक्री शामिल है, बशर्ते कि बिक्री से होने वाली आय को अलग-अलग जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों में जमा किया जाये और उसे पुनः जवाहर रोजगार योजना कार्यों में लगाया जाये ।

(2) भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, जल एकत्रीकरण ढांचे ।

(3) लघु सिंचाई कार्य जैसे सामुदायिक सिंचाई कुओं का निर्माण, मुख्य तथा मुख्य नालियों और खेत की नालियों आदि का निर्माण तथा उनका सुधार और उन्हें गहरा करना आदि ।

(4) बाढ़ संरक्षण, जल निकासी तथा पानी इकट्ठा करने हेतु निर्माण कार्य ।

(5) मानव अथवा पशु या सिंचाई अथवा मछली पालन के लिये पानी उपलब्ध कराने हेतु गांव में तालाबों का निर्माण/उनका नवीकरण ।

(6) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और फालतू भूमि, भूदान भूमि और सरकारी भूमि के आवंटितियों की अलग-अलग जोतों पर सिंचाई कुंए और खेत की नालियां ।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में, समुदाय/संस्था आधार पर स्वच्छ शौचालयों और संस्थागत ग्रामीण स्वच्छता निर्माण कार्य जैसे हैंड पम्पों/नल की टूटियों के पास नालियों/पानी सोखने वाले गड्ढों का निर्माण ।

(8) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों और मुक्त बन्धुआ मजदूरों के लिये अलग-अलग मकानों का निर्माण ।

(9) निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदण्ड के अनुरूप ग्रामीण सड़कों का निर्माण ।

(10) पर्वतीय और मरूस्थली क्षेत्रों में पारिस्थितिक सुधार पर विशेष बल देते हुए भूमि का विकास और बंजर भूमि अथवा निम्न स्तर की भूमि को इस्तेमाल करने योग्य बनाना ।

(11) वनरोपण भूमि तथा नमी संरक्षण करके तथा जल प्रबन्ध के द्वारा माइक्रो लेबल पारिस्थितिक योजनाएं बनाने की मार्फत विद्यमान भूजल स्रोतों को बढ़ाना ।

(12) ग्रामीण बैंकों के भवनों, कच्चे-माल के भण्डारण के लिये गोदामों, लक्षित समूह लाभार्थियों के लिये कार्यशालाओं, सामुदायिक केन्द्रों, पंचायत घरों, दवाघर केन्द्रों, बाजार यार्डों का ऐसे क्षेत्रों में निर्माण जहां कमजोर वर्गों की जनसंख्या का बाहुल्य हो, और ऐसे निर्माण कार्य जिनको मदद से स्थानीय पंचायतों किराये, बाजार शुल्क आदि की मार्फत अपने संसाधनों को बढा सकें, ताकि स्थानीय स्तर पर रखरखाव के लिये समग्र संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो । ऐसे कार्यों को अन्यों की तुलना में तरजीह दी जा सकती है ।

(13) पूर्ण रूप से सामाजिक और सामुदायिक स्वरूप के निर्माण कार्य जैसे औषधालयों, पंचायत घरों सामुदायिक केन्द्रों, शिशुगृहों, आंगनवाडियों, बाल बाड़ियों आदि का निर्माण ।

(14) प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण केवल उन्हीं राजस्व गांवों मे किया जायेगा, जिनमें स्वीकृत स्कूल है, परन्तु उनकी अपनी बिल्डिग नहीं हैं । बिल्डिग में दो बड़े कमरे प्रत्येक लगभग 30 वर्गमीटर का एक बड़ा बरामदा, और एक अलग कोने पर लड़के और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय/पेशाबघर होंगे । यदि विद्यमान बिल्डिग मे किसी जोड़-तोड़ अथवा विस्तार का प्रस्ताव किया जाता है, तो यह विद्यमान भवन और मार्गदर्शिकाओं मे परिकल्पना किये गये दो कमरों की बिल्डिग के बीच जो कमियां है, उसे पूरा करने तक ही होना चाहिए ।

विवरण—II

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल आवंटन (केन्द्र/राज्य)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	19319.51
2.	अरूणाचल प्रदेश	307.15
3.	असम	5278.90
4.	बिहार	38711.91
5.	गोआ	378.75
6.	गुजरात	7954.79
7.	हरियाणा	1922.64
8.	हिमाचल प्रदेश	1153.50
9.	जम्मू व कश्मीर	1682.74
10.	कर्नाटक	12093.58
11.	केरल	6569.90
12.	मध्य प्रदेश	25618.78
13.	महाराष्ट्र	20693.90
14.	मणिपुर	441.73

1	2	3
15.	मेघालय	458.13
16.	मिजोरम	187.41
17.	नागालैंड	504.99
18.	उड़ीसा	12655.81
19.	पंजाब	1608.66
20.	राजस्थान	12594.24
21.	सिक्किम	197.83
22.	तमिलनाडु	17346.44
23.	त्रिपुरा	541.43
24.	उत्तर प्रदेश	51706.13
25.	पश्चिम बंगाल	21610.16
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	164.80
27.	चंडीगढ़	40.77
28.	दादरा व नगर हवेली	83.80
29.	दिल्ली	187.42
30.	दमन व दीव	52.40
31.	लक्षद्वीप	81.75
32.	पांडिचेरी	157.80
	योग :	262307.85

दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों का पंजीकरण

2305. **श्री राम जेठमलानी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983 के बाद दिल्ली मे ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों के पंजीकरण को बंद कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां तो, क्या यह भी सच है कि पंजीकरण बंद कर दिये जाने के बावजूद 8 ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को पंजीकृत किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन तारीखों को इन सोसायटियों को पंजीकृत किया गया और उनके पंजीकरण करने के क्या कारण थे; और

(घ) दिल्ली प्रशासन के दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को भूमि के आवंटन के मामले में अन्य सोसायटियों के मुकाबले इन सोसायटियों की क्या स्थिति है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना विवरण में दी गई है (नीचे देखिये)।

(घ) ये समितियां सूची के अन्त में उल्लिखित हैं।